

## इंद्रेष फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (IFSPL) के एकमात्र उधारकर्ता या सह-उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने की प्रक्रिया

इंद्रेष फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां “IFSPL” कहा गया है) 27 सितंबर, 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक (“RBI”) के साथ एक गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (“NBFC - ND”) के रूप में पंजीकृत है, जिसका NBFC पंजीकरण नंबर N-14.03630 है। IFSPL को मुख्य रूप से व्यक्तियों, स्वामियों, भागीदारी, निजी/सार्वजनिक कंपनियों आदि को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न होने के लिए शामिल किया गया है।

इस दस्तावेज़ में IFSPL के एकमात्र उधारकर्ता या सह-उधारकर्ता (जिसे यहां “मृत उधारकर्ता” कहा गया है) की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। यह प्रक्रिया जिम्मेदार ऋण आचरण पर दिनांक 13 सितंबर, 2023 को जारी आरबीआई परिपत्र संख्या RBI/2023-24/60 DoR.MCS.REC.38/01.01.001/2023-24 पर आधारित है - व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की रिहाई। इस दस्तावेज़ ने एकमात्र उधारकर्ता या सह-उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल संपत्ति दस्तावेजों की त्वरित और परेशानी मुक्त वापसी को सक्षम करने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान की।

### प्रयोज्यता

यह प्रक्रिया केवल निम्नलिखित स्थितियों में अपनाई जाएगी:

- A. IFSPL द्वारा प्रदान किए गए ऋण खाते में एकमात्र उधारकर्ता की मृत्यु, या
- B. IFSPL द्वारा प्रदान किए गए ऋण खाते में सभी उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं की मृत्यु।

यह प्रक्रिया केवल मृतक उधारकर्ता को IFSPL द्वारा प्रदान किए गए बकाया ऋणों के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद ही अपनाई जाएगी। आईएफएसपीएल द्वारा प्रदान किए गए ऋण को चुकाने/निपटाने वाले व्यक्ति को मूल संपत्ति के दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आईएफएसपीएल ऐसे मृतक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को ही मूल संपत्ति के कागजात सौंपेगा।

कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल संपत्ति के कागजात सौंपने का काम नीचे परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा: मूल संपत्ति के दस्तावेज सौंपने की प्रक्रिया

1. मूल संपत्ति के दस्तावेज को गलत तरीके से सौंपे जाने से बचाने के लिए, आईएफएसपीएल कानूनी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने पर मूल संपत्ति के दस्तावेज सौंपेगा।
2. इस दस्तावेज के उद्देश्य के लिए, कानूनी प्रतिनिधित्व में नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी शामिल होगा जो कानूनी उत्तराधिकारियों को आईएफएसपीएल के पास रखे गए मूल संपत्ति के दस्तावेज को लेने का अधिकार देता है:

A. न्यायालय का आदेश जैसे कि प्रमाणित वसीयत: सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की मुहर के तहत प्रमाणित वसीयत की प्रति जो यह पुष्टि करती है कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया है और उस पर कार्रवाई करने का बल है। यह एक कानूनी प्रक्रिया/न्यायालय का आदेश है जो सभी दावों को हल करके और एक वैध वसीयत के तहत मृतक उधारकर्ता की संपत्ति को वितरित करके मृतक उधारकर्ता की संपत्ति का प्रशासन करता है। IFSPPL ऐसी प्रति प्रस्तुत करने पर प्रोबेट/न्यायालय आदेश के अनुसार कार्य करेगा।

B. प्रशासन पत्र: जहां मृतक उधारकर्ता-

- i. अंतरराज्यीय मृत्यु हुई (कोई वसीयत नहीं छोड़कर); या
- ii. जब उधारकर्ता बिना किसी निष्पादक की नियुक्ति के वसीयत छोड़कर मर जाता है; या
- iii. जब वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक कानूनी रूप से अक्षम हो या कार्य करने से इनकार कर दे या खुद मर जाए;

उस मामले में, एक प्रशासक को सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, जो निष्पादक से अलग है जिसे कोई व्यक्ति अपनी वसीयत या कोडिसिल द्वारा नियुक्त कर सकता है।

C. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/आदेश जिसमें मृतक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम और मृतक की संपत्ति में उनके हिस्से का प्रतिशत घोषित किया जाता है।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में सशक्त बनाता है और उधारकर्ता की मृत्यु के कारण मूल संपत्ति दस्तावेज एकत्र करने का अधिकार देता है।

3. उपर्युक्त कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ-साथ, कानूनी उत्तराधिकारियों से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए, जब उनके द्वारा मूल संपत्ति दस्तावेज के संग्रहण के लिए दावा किया जाता है:

A. आवेदन के साथ सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र;

B. फोटोग्राफ और पहचान का वैध प्रमाण (आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के अनुसार) जैसे कि आधार संख्या का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम और पते का विवरण हो;

C. मृतक उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ताओं(ओं) के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक औपचारिक अनुरोध सह प्राधिकरण पत्र, जैसा भी मामला हो, उस कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में चल/अचल संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेजों की रिहाई के लिए।

D. मृतक उधारकर्ता की वसीयत न होने की स्थिति में कानूनी वारिस/ओं द्वारा निष्पादित शपथ-पत्र सह क्षतिपूर्ति।

E. कानूनी वारिसों का पीओए/एलओए जो संपत्ति दस्तावेज (यदि लागू हो) लेने नहीं आ रहे हैं।

4. ऋण चुकौती/निपटान और समापन के बाद, मृतक के मूल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने के लिए पीओए धारक या सभी कानूनी वारिसों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा।

सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात, संलग्न प्रारूप के अनुसार विधिक स्वीकृति के साथ मूल संपत्ति दस्तावेज कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपे जाएंगे।

5. कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच किसी विवाद की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए किसी दावे, मूल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने पर आपत्ति जताने वाला कोई नोटिस प्राप्त होने पर, दस्तावेज केवल स्पष्ट न्यायालय आदेश के पश्चात ही सौंपे जाएंगे अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मूल संपत्ति दस्तावेज की अभिरक्षा के संबंध में आपस में संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाने के पश्चात तथा IFSPPL के अधिकारियों की उपस्थिति में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा इस तरह की सहमति पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात ही दस्तावेज सौंपे जाएंगे।

6. IFSPPL संपत्ति दस्तावेजों की डिलीवरी पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण विवेकाधिकार तथा दायित्व के बिना सुरक्षित रखेगा। एक बार उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता (यदि कोई हो) के कानूनी उत्तराधिकारी IFSPPL की संतुष्टि के लिए ऊपर उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं, तो IFSPPL 30 दिनों के भीतर दस्तावेज सौंप देगा।

7. किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित राज्यों/क्षेत्राधिकार के कानून, नियम लागू होंगे।

### अस्वीकरण

यह नोट ज्ञान का प्रसार करने के लिए बनाया गया है और यह कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक सलाह प्रदान नहीं करता है। IFSPPL या इसके सहयोगियों को इसकी सामग्री के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

शपथ-पत्र सह क्षतिपूर्ति

मैं, \_\_\_\_\_ [साक्षी का नाम], पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ [पिता का नाम], तथा आयु \_\_\_\_\_ [आयु], [पता] \_\_\_\_\_ पर रहता हूँ,

और

मैं, \_\_\_\_\_ [साक्षी का नाम], पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ [पिता का नाम], तथा आयु \_\_\_\_\_ [आयु], [पता] \_\_\_\_\_ पर रहता हूँ,

और

मैं, \_\_\_\_\_ [साक्षी का नाम], पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ [पिता का नाम], तथा आयु \_\_\_\_\_ [आयु], [पता] \_\_\_\_\_ पर रहता हूँ,

और

मैं, \_\_\_\_\_ [साक्षी का नाम], पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ [पिता का नाम], तथा आयु \_\_\_\_\_ [आयु], [पता] \_\_\_\_\_ पर रहता हूँ,

इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ तथा निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ:

मैं/हम कानूनी रूप से हूँ/हैं \_\_\_\_\_ [मृतक का नाम] के वारिस, जिनका निधन \_\_\_\_\_ [मृतक की मृत्यु की तिथि] को हुआ। मृतक मेरा/हमारा [मृतक से संबंध] \_\_\_\_\_ है।

मृतक ने मूल चल/अचल संपत्ति \_\_\_\_\_ [संपत्ति का विस्तृत विवरण] दस्तावेजों को \_\_\_\_\_ [शाखा पता] स्थित IFSPS की शाखा में गिरवी रख दिया था।

उपरोक्त दस्तावेजों से जुड़े ऋण खाते \_\_\_\_\_ [ऋण बंद होने की तिथि] को पूरी तरह से निपटाए गए और बंद कर दिए गए। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हम मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेज प्राप्त करने के हकदार कानूनी उत्तराधिकारी हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मृतक द्वारा निष्पादित कोई मौजूदा वसीयत नहीं है।

मैं/हमने IFSPS से सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक \_\_\_\_\_ [प्राप्तकर्ता का नाम] को मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया है। मैं/हम जानते हैं कि IFSPS ने इस हलफनामे के आधार पर मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जारी

करने पर सहमति व्यक्त की है, और मैं/हम इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध IFSPIL को क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं।


मैं/हम, अपने लिए और अपने संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से, IFSPIL, उसके उत्तराधिकारियों, नियुक्तियों, प्रबंधकों, एजेंटों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जारी करने से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों, हानियों, लागतों, शुल्कों, खर्चों और मांगों के विरुद्ध हानिरहित और क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि यहाँ दिए गए सभी कथन मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं।

[अभिसाक्षी (ओं) के हस्ताक्षर]

स्थान:

दिनांक:



पावती रसीद

दिनांक: [प्राप्ति की तिथि]

से: [प्राप्तकर्ता का नाम]

सेवा में,

इंद्रेश फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (IFSPL)  
यूनिट नंबर 820, 08वीं मंजिल, JMD मेगापोलिस,  
सेक्टर 48, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा - 122018

विषय: मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की रसीद।

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं/हम, [प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता(ओं) का नाम], [प्राप्तकर्ता(ओं) का पता] में रहते हैं, इसके द्वारा IFSPL के निम्नलिखित मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं:

1. [दस्तावेज 1 का विवरण]

दस्तावेज की प्रकृति: [मूल/ज़ेरॉक्स]

2. [दस्तावेज 2 का विवरण]

दस्तावेज की प्रकृति: [मूल/ज़ेरॉक्स]

3. [दस्तावेज 3 का विवरण]

दस्तावेज की प्रकृति: [मूल/ज़ेरॉक्स]

[आवश्यकतानुसार और दस्तावेज जोड़ें]

मैं पुष्टि करता हूँ कि प्राप्त दस्तावेज अच्छी स्थिति में हैं। मैं उपर्युक्त दस्तावेजों की हिरासत और रिहाई से संबंधित किसी भी दायित्व से IFSPL को मुक्त करता हूँ।

आपका,

[प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर]